संख्या 2810 / II–2011–03(30) / 2011

(95)

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 15 फरवरी, 2012

विषय : **जमरानी बॉध परियोजना की डी0पी0आर0 का पुनरीक्षण वाह्य संस्था से कराये जाने हेतु धनावंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 3901 / मु0अ0वि0 / बजट / बी–1, ए0आई0बी0पी0, दि0–20.10.2011 एवं पत्रसंख्या 4544 / मुअवि / बजट / बी–1 सामान्य, दिनांक 16.12.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जमरानी बॉध परियोजना की डी0पी0आर0 का पुनरीक्षण कराये जाने हेतु ₹ 15.00 लाख (₹ पन्द्रह लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

ii. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किश्तों में किया जायेगा।

iii. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

iv. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

v. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

vi. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

vii. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.....2

viii. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ix. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

x. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01–जमरानी बॉध 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव 0201–निर्माण कार्य 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 90/XXVII(2)/2012 दिनांक 09 फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

संख्या 2810(1)/ II–2011–03(30)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. कोषाधिकारी, नैनीताल।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।